हिमाचल प्रदेश सरकार
तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।

संख्या.ई0डी0एन0 (टी0ई0)ए(1)16/2019–III तारीखः शिमला–2 13.03.2024

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि लोक प्रयोजन हेतु अर्थात् राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बन्दला, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लिए सड़क/पथ/रास्ता इत्यादि के सन्निर्माण हेतु गांव बन्दला तहसील सदर बिलासपुर जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में कुल 3–10 बीघा भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करते हैं कि उपाबन्ध–"क" में दिए गए ब्यौरेबार विवरणानुसार लोक प्रयोजन हेतु गांव बन्दला तहसील सदर बिलासपुर, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में उक्त प्रयोजन हेतु अर्जनाधीन 3–10 बीघा भूमि की आवश्यकता है। अधिगृहित की जा रही भूमि पर वृक्षों और निर्मितियों इत्यादि के ब्यौरे निम्नानुसार है :–

वृक्ष			सरंचनाएं	
किस्म	संख्या		प्रकार	प्लिंथ क्षेत्र (वर्ग मी0)
वन वृक्ष	–		पक्का मकान	600
फलदार वृक्ष	12		कच्ची पशुशालाएं आदि	
कुल	12		कुल	600

यह घोषणा पूर्वाक्त अधिनियम में यथा उपबन्धित व्यक्तियों को सुनने और सम्यक जाँच करने के पश्चात् की जा रही है। उक्त अधिग्रहण के कारण किसी भी परिवार के विस्थापित होने की संभावना नहीं है;

उपरोक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन तहसील सदर बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में स्थित 3–10 बीघा प्राइवेट भूमि लोक प्रयोजनार्थ अर्जन हेतु प्रारम्भिक अधिसूचना, अधिसूचना संख्या ई0डी0एन0(टी0ई0)ए(1)16/2019–।। दिनांक 17–03–2023 द्वारा जारी की गई थी।

खान और खनिज के ऐसे भागों को अपवर्जित करके जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाए या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी विशेष भाग में पड़े कोयला, लौह–पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें,

भूमि से संबधित रेखांकन (प्लान) समाहर्ता, भू–अर्जन राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बन्दला जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन स्कीम का सार उपाबन्ध "ख" पर सलंग्न है।

(प्रियतु मंडल)
सचिव (तकनीकी शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन ई0डी0एन0, (टी0ई0)ए(1)16/2019–III तारीखः शिमला–2 13.03.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–02।
2. मण्डलायुक्त, मण्डी, हिमाचल प्रदेश को उनके पत्रांक संख्या Commr. MND.NT(LR)-486-87 dated 31.01.2024 के सन्दर्भ में ।

3. निदेशक तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण सुन्दरनगर, जिला मण्डी ।

4. निदेशक, सूचना एवं सम्पर्क, हिमालच प्रदेश, शिमला को व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु।

5. उपायुक्त, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को वर्णित अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के अन्तर्गत व्यापक प्रचार एवं प्रसार तथा अग्रिम कार्रवाई हेतु।

6. अध्यक्ष, सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान फेयरलान, शिमला–171012।

7. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला।

8. उप मण्डल अधिकारी (ना0) एवम् भू–अर्जन अधिकारी (राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बन्दला),सदर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस अधिसूचना को सम्बन्धित इलाका के मध्य भाग के लोगों की सुविधा हेतु लगाए तथा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

9. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु।

(सुनील शर्मा)
विशेष सचिव (तकनीकी शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

उपाबन्ध "क"

क्रम संख्या:	खेवट / खतौनी नम्बर	खसरा नम्बर	भू–अर्जन के लिए कुल भूमि (बीघों में)	मालीकाना हक	हिस्सा	मालिक का नाम व पता
1	232 / 305	878 / 1	0–6	1 / 2 मुश्तरीका	0–6 / 2	श्री सुनीत पुत्र श्री गीता राम स्थानीय वासी श्री पुनीत पुत्र श्री गीता राम स्थानीय वासी
2.	232 / 305	878 / 2	3–4		कुल 96 हिस्से सत्तर हिस्से में गोरखू, चेत राम और छब्बीस हिस्से में दयालु	श्री विजय राम पुत्र श्री गोरखु पुत्र श्री गुरदित्तू स्थानीय वासी श्री शिव राम पुत्र श्री गोरखु पुत्र श्री गुरदित्तू स्थानीय वासी श्री रितेश कुमार पुत्र श्री दया राम पुत्र श्री चेत राम पुत्र श्री गुरदित्तू स्थानीय वासी श्री मनीष कुमार पुत्र श्री राज कुमार पुत्र श्री चेत राम पुत्र श्री गुरदित्तू स्थानीय वासी श्री दयालू पुत्र श्री गुरदित्तू स्थानीय वासी
		कुल जोड़	3–10			

सरकारी भवनों के निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि से प्रभावित/पुनर्स्थापित परिवारों के संबंध में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना की सारांश रिपोर्ट। राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

सरकार के निर्माण के लिए राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला, बिलासपुर की निजी भूमि ग्राम बंदला तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) में 3–10 बीघे की भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित की गई है। इस भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित/पुनर्स्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास और पुनर्वास के लिए, हिमाचल प्रदेश सरकार, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवम् औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग अधिसूचना संख्या ईडीएन (टीई) ए (1) 16/2019–II के माध्यम से जारी की गई थी दिनांक 17 मार्च, 2023 ने प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना की तैयारी के लिए उपायुक्त, बिलासपुर को प्रशासक और मण्ड़लायुक्त, मण्डी हिमाचल प्रदेश को आयुक्त नियुक्त किया है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 से धारा 15 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना संख्या ईडीएन (टीई) ए (1) 16 /2019–II के माध्यम से जारी की गई थी। दिनांक 17 मार्च, 2023 अतिरिक्त उपायुक्त–सह–प्रशासक, आर एण्ड आर ने उपरोक्त अधिसूचना के प्रकाशन के बाद प्रभावित परिवारों से सुझाव, दावे आदि मांगे हैं और सुझावों, दावों/आपत्तियों आदि को सुनने के बाद पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना और मंडल–सह–तैयार की है। आयुक्त, आर एंड आर मण्ड़ी ने उपायुक्त की समीक्षा के बाद दिनांक 31.01.2024 को आर एण्ड आर योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका सारांश इस प्रकार है:–

शासकीय भवनों के निर्माण हेत उपरोक्त भूमि को तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के नाम हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, बंदला, बिलासपुर

(हि0प्र0) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना को 6 माह के भीतर लागू किया जाना है। भूमि के मुआवजे के भुगतान के अंतर्गत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना की राशि का भुगतान करना आवश्यक है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन का मैट्रिक्स उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार लागू होगाः

प्रभावित परिवारों की श्रेणी होगी;

ऐसे व्यक्ति जिनकी भूमि या अचल संपत्ति का अधिग्रहण किया गया है या खेतिहर मजदूर, किसी भी प्रकार की किरायेदारी सहित किरायेदार, गेर मोरूसी, भोग अधिकार रखने वाले, बटाईदार या कारीगर या जो अधिग्रहण से पहले तीन साल से प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे हों। जमीन और किसका कारोबार प्रभावित हो रहा है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी जिन्होंने एसटी के तहत मान्यता प्राप्त अपने किसी भी अधिकार को खो दिया है, ऐसे परिवार जिनकी भूमि अधिग्रहण से तीन साल पहले तक आजीविका का प्राथमिक स्त्रोत वनों आदि पर निर्भर है। पुनर्वास की श्रेणी में ऐसे परिवारों को गिना जाएगा जिन्हें भूमि अधिग्रहण के बाद पुनर्वास क्षेत्र में पुनर्वासित किया जाएगा। 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा महिला को इस योजना के प्रयोजन के लिए अलग परिवार के रूप में गिना जाएगा। भूमि स्वामी की श्रेणी में ऐसे परिवारों की गणना की जायेगी जो भूमि स्वामी के रूप में दर्ज हो, या मकान मालिक या मकान का कोई भाग स्वामी के रूप में दर्ज हो, वनाधिकार में दर्ज हो, पट्टा धारक के लिये पात्र हो, न्यायालय/प्राधिकरण द्वारा घोषित हो। पुनर्वास और पुनर्वास योजना के प्रयोजन के लिए, अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मैट्रिक्स निम्नानुसार होगाः–

इस परियोजना के चालू होने से किसी भी परिवार का पुनर्वास नहीं हो रहा है। जिन परिवारों के मकान अधिग्रहण में हैं, उनके पास प्रभावित क्षेत्र या दूसरे गांवों में जमीन है, जहां ऐसे परिवार अपना मकान बना सकते हैं। इसलिए, ऐसे परिवार जिनका घर गांव में अधिग्रहित किया जा रहा है,

वे रूपये के हकदार होंगे। रू0 1,50,000/– एवं शहरी क्षेत्र में आवास निर्माण हेतु की पात्रता होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिये जाने वाले रू0 1,85,000/–दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत भूमि के बदले भूमि का प्रावधान लागू नहीं है। इस परियोजना के अंतर्गत भूमि विकास प्रावधान लागू नहीं है। वार्षिकी या रोजगार अनुदान विकल्प रू0 होगा रू0 5,00,000/– दिए जायेंगे। इस परियोजना में प्रभावित परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रभावित परिवारों के लिए विस्थापित परिवारों को एक अवधि के लिए जीवन निर्वाह अनुदान रू0 3,000/– प्रति माह और एक वर्ष के लिए रू0 36,000/– दिए जाएंगे। ऐसे परिवार इस अनुदान के पात्र होंगे जिनके मकान इस परियोजना के लिए अधिग्रहित किये गये हैं और उन्हें प्रभावित क्षेत्र के बाहर मकान का निर्माण कराना है। पशु शेड/छोटी दुकानों/कारीगरों, छोटे व्यापारियों के लिए पुनर्वासित परिवारों को रू0 50,000/– दिए जाएंगे। इस परियोजना के तहत मछली पकड़ने का अधिकार लागू नहीं है। रूपये का एक बार पुनः निपटान अनुदान होगा। प्रभावित संबंधों को 50,000/– रूपये दिए जाएंगे। सरकार के निर्माण के कारण राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला परियोजना में स्कूल, मंदिर और अन्य भूमि की ओर जाने वाले सार्वजनिक रास्तों के अवरूद्ध होने की आशंका है। विभाग जनहित को ध्यान में रखते हुए भविष्य में स्थानीय लोगों एवं बच्चों को होने वाली असुविधा के समाधान हेतु आवश्य कदम उठाना सुनिश्चित करें। भूमि अर्जन अधिकारी (राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला) बिलासपुर को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन लाभ के वितरण से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि किसी परिवार का नाम दो गांवों में शामिल है तो उस स्थिति में आर एंड आर योजना की पात्रता की जांच के बाद एक ही स्थान पर लाभ दिया जा सकता है। किसी भी अपात्र परिवार को गलत तरीके से लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

(Authoritative English text of this department notification No. EDN(TE)A(1)16/2019-III dated 13/3/2024 as required under article 348 (3) of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Department of Technical Education,
Vocational & Industrial Training H.P

No. EDN(TE)A(1)16/2019-III Dated: Shimla-171002, the 13.03.2024

NOTIFICATION

Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that a total land measuring 3-10 bigha is required in village Bandla of Tehsil Sadar Bilaspur, District Bilaspur, Himachal Pradesh, for public purpose, namely construction road/path/passage etc. for Government Hydro Engineering College, Bandla,

Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) declares that land measuring 3-10 bigha under acquisition is needed for the above said purpose in village Bandla of Tehsil Sadar Bilaspur, District Bilaspur, Himachal Pradesh, for public purpose detailed description of which is given at Annexure-"A". The details of trees and structures etc. on land being acquired is as under :-

Trees	
Variety	Number
Forest	-
Trees	-
Fruit trees	12
Total	12

Structures	
Type	Plinth Area (in Sqms.)
Pucca Houses	600
Kutcha Cowsheds etc.	
Total	600

This declaration is being made after hearing of affected persons and holding due enquiry as provided under section 15 of the act ibid. Due to above acquisition no family is likely to be displaced;

Preliminary Notification under sub section (1) of section 11 of the above Act was issued vide notification No. EDN(TE)A(1)16/16/2019-II dated 17th March, 2023 for acquisition of private land measuring 3-10 bigha situated in village Bandla of Tehsil Sadar, District Bilaspur Himachal Pradesh for public purpose.

Mines of coal, iron-stone, slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug or removed or used during the construction phase of the project for the purpose for which the land is being acquired, are not needed.

A plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Land Acquisition (Hydro Engineering College, Bandla) Bilaspur Himachal Pradesh on any working day.

A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is appended at Annexure "B".

(Priyatu Mandal)
Secretary (Technical Education) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. EDN(TE)A(1)16/2019-III Dated: Shimla-171002, the 13.03.2024

Copy forwarded for information & necessary action to:-

1. The Additional Chief Secretary (Revenue) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-02.
2. The Divisional Commissioner, Mandi, Himachal Pradesh w.r.t. his letter No. Commr. MND.NT(LR)-486-87 dated 31.01.2024.
3. The Director, Technical Education Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh, Sundernagar, District Mandi.

4. The Director, Information & Public Relations, Himachal Pradesh, Shimla 171002 for wide publicity.

5. The Deputy Commissioner, Bilaspur, Himachal Pradesh for wide publicity as well as for necessary action.

6. The Chairman SIAU-cum-Director, HIPA, Fairlawns, Shimla-171012.

7. The Controller, Printing and Stationary Department, Himachal Pradesh, Shimla-171005.

8. The Sub Divisional Officer (Civil)-cum-Land Acquisition Officer, Government Hydro Engineering College Bandla, Bilaspur, Sadar, Tehsil Sadar, District Bilaspur, Himachal Pradesh with the request to advertise the notification in the suitable places of the concerned area for vide publicity amongst the general public for their information and take necessary action after completing all the codal formalities as per ibid Act 2013.

9. The Tehsildar, Sadar Bilaspur, District Bilaspur, Himachal Pradesh for its wide publicity.

(Suneel Sharma)
Special Secretary (Tech.Edu.) to the
Government of Himachal Pradesh.

Annexure-"A"

कम संख्या:	खेवट / खतौनी नम्बर	खसरा नम्बर	भू–अर्जन के लिए कुल भूमि (बीघों में)	मालीकाना हक	हिस्सा	मालिक का नाम व पता
1	232 / 305	878 / 1	0–6	1 / 2 मुश्तरीका	0–6 / 2	श्री सुनीत पुत्र श्री गीता राम स्थानीय वासी श्री पुनीत पुत्र श्री गीता राम स्थानीय वासी
2.	232 / 305	878 / 2	3–4		कुल 96 हिस्से सत्तर हिस्से में गोरखू, चेत राम और छब्बीस हिस्से में दयालु	श्री विजय राम पुत्र श्री गोरखु पुत्र श्री गुरदित्तू स्थानीय वासी श्री शिव राम पुत्र श्री गोरखु पुत्र श्री गुरदित्तू स्थानीय वासी श्री रितेश कुमार पुत्र श्री दया राम पुत्र श्री चेत राम पुत्र श्री गुरदित्तू स्थानीय वासी श्री मनीष कुमार पुत्र श्री राज कुमार पुत्र श्री चेत राम पुत्र श्री गुरदित्तू स्थानीय वासी श्री दयालू पुत्र श्री गुरदित्तू स्थानीय वासी
		कुल जोड़	3–10			

Annexure-"B"

Summary report of Rehabilitation and Resettlement Scheme in respect of affected/resettled families of proposed land to be acquired for the construction of Govt. Hydro Engineering College Bandla, Bilaspur, Himachal Pradesh

For the construction of Govt. Hydro Engineering College Bandla, Bilaspur private land measuring 3-10 bigha has been proposed for acquisition in village Bandla Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).

For the rehabilitation and resettlement of the families being affected/resettled due to acquisition of this land, the Government of Himachal Pradesh vide Government of Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational and Industrial Training Department Notification No.EDN(TE)A(1)16/16/2019-II dated 17th March, 2023 has appointed Deputy Commissioner, Bilaspur as Administrator and Divisional Commissioner, Mandi HP as Commissioner for the preparation of Rehabilitation and Resettlement Scheme for the affected families. The preliminary notification U/S 11 to Section 15 of the "The Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 was issued vide notification No. EDN(TE)A(1) 16/16/2019-II dated 17th March, 2023.

The Additional Deputy Commissioner-cum-Administrator, R&R after publication of above notification has called suggestions, claims etc. from the affected families and after hearing of the suggestions, claims/objections etc. has prepared the Rehabilitation and Resettlement scheme and Divisional-cum-Commissioner, R&R Mandi after review by the Deputy Commissioner has approved the R&R Scheme on dated 31.01.2024, the summary of which is as under:-

The above mentioned land is required to be transferred in the name of Technical Education, Vocational and Industrial Training Department for the construction of Govt. Hydro Engineering College, Bandla, Bilaspur(H.P.).

The Rehabilitation and Resettlement Scheme is to be implemented within 6 months. The amount of Rehabilitation and Resettlement scheme is required to be paid within the payment of compensation of land.The matrix of Rehabilitation and Resettlement will be applicable as per provisions of Section 3 of ibid Act as:

Affected families category will be;

Such persons whose land or immovable property has been acquired or agricultural labours, tenants including any type of tenancy, Gair Morusi, having of usufruct right, share croppers or artisans or who may be working in the affected area for three years prior to the acquisition of the land and whose business is being affected.

The scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have lost any of their rights recognised under the ST and other traditional Forest Dwellers, such family whose primary source of livelihood for three years prior to acquisition of the land is dependent on forests etc.

In the category of Resettlement such families will be counted which will be rehabilitated in Resettlement area after acquisition of land

Above the age of 18 years, Widow, divorced lady will be counted as separate family for the purpose of this scheme.

Under the category of land owner such families will be counted who have been recorded as land owner, or house owner or any part of house recorded as owner, should have recorded in the forest rights, having eligible for lease holder, declared by court/authority,

For the purpose of rehabilitation and resettlement scheme, the matrix laid down in the schedule of the Act will be as under:-

By commissioning of this Project no family is being becoming resettled. The families whose houses are under acquisition are having land in the affected area or in the other villages, where such families can construction their

houses. Therefore, for such families whose house is being acquired in the village will be entitled for Rs. 1,50,000/- and in the urban area for the construction of house will be entitled for Rs. 1,85,000/- which is being given under the Prime Minister Awas Yojna has been decided to be given.

Land for land provision is not applicable under this Project.

Land Development provision is not applicable under this Project.

The annuity or employment grant choice will be Rs. 5,00,000/- will be given. In this project, there is no provision for providing employment to the affected families.

For the affected families subsistence grant for the displaced families for one period @ Rs. 3,000/- per month & for one year Rs. 36,000/- will be given. Such families will be eligible for this grant whose houses have been acquired for this project and have to construction house outside the affected area.

Resettled families for the cattle shed/petty shops/artisans, small traders, 50,000/- will be given. The fishing right is not applicable under this project. One time re-settlement grants of Rs. 50,000/- will be given to the affected families.

Due to construction of Govt. Hydro Engineering College Bandla Project there is apprehension of blockage of public paths which lead to school, temple and other lands. Keeping in view, the public interest, the Department should ensure to take necessary steps to resolve the inconvenience to the locals and children in future.

The Land Acquisition Officer (Government Hydro Engineering College, Bandla) Bilaspur should ensure before disbursement of Rehabilitation and Resettlement benefits that if any family's name included in two villages in that condition the benefit may be given in one place after verifying the eligibility of R&R scheme. The benefit to any undeserved family should not be given wrongly.